ए.

शिल्पा मित्तल बनाम.

एन. सी. टी. दिल्ली और ए. एन. आर. का राज्य (2020 की आपराधिक अपील संख्या 34)
09 जनवरी, 2020

बी.

[दीपाक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस**,** जे**.** जे**.]**

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015:एसएस।2 (33) और 15-यू/एस अपराध का आयोग।304 आई. पी. सी.-16 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु के किशोर द्वारा-किशोर न्याय बोर्ड ने अभिनिर्धारित किया कि एक जघन्य अपराध करने वाले किशोर पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए-उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि विचाराधीन अपराध के लिए कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं है, इसलिए अपराध एस के दायरे में नहीं आता है।2(33) और इसलिए यह एक जघन्य अपराध नहीं था-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजित:एक अपराध जो न्यूनतम 7 साल की सजा का प्रावधान नहीं करता है, उसे एक जघन्य अपराध नहीं माना जा सकता है-जिसका अर्थ है कि 'जघन्य अपराध' शब्दों को परिभाषा से 'न्यूनतम' शब्द को हटाकर विस्तारित नहीं किया जा सकता है-हालाँकि, अधिनियम अपराधों की चौथी श्रेणी (अर्थात। अपराध जहां अधिकतम सजा 7 वर्ष से अधिक है, लेकिन 7 वर्ष से कम की कोई न्यूनतम सजा का प्रावधान नहीं है)-कानून में एक अंतर है-न्यायालय यह कहकर अंतराल को नहीं भर सकती है कि इन अपराधों को जघन्य अपराधों के रूप में माना जाना चाहिए-विधायिका को इस मामले में फैसला लेना चाहिए-हालांकि, जब तक विधानमंडल निर्णय नहीं लेता है, तब तक न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कि अधिनियम लागू होने की तारीख से सभी चौथी श्रेणी के अपराधों को 'गंभीर अपराध' माना जाएगा।

सी.

डी.

ई.

एफ.

क़ानूनों की व्याख्याः

विधान में त्रुटियों का सुधार-आयोजितःयदि विधानमंडल का इरादा कानून के उद्देश्यों और कारणों से स्पष्ट है, तो न्यायालय कानून में त्रुटियों को ठीक कर सकता है और कानून के उद्देश्य को पूरा करने के लिए शब्दों को लिख सकता है या हटा सकता है/हटा सकता है/जोड़ सकता है-लेकिन जब विधानमंडल का इरादा स्पष्ट नहीं होता है, तो न्यायालय कानून से शब्दों को जोड़ या घटा नहीं सकता है।

जी.

एच.

478

479

शिल्पा मित्तल बनाम दिल्ली और ए. एन. आर. की राष्ट्रीय राजधानी का राज्य।

ए.

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** किशोर न्याय **(**बच्चों की देखभाल और संरक्षण**)** अधिनियम**, 2015** की धारा **2 (12), 2 (13)** और **2 (35)** को नंगे पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एक बच्चा या एक किशोर वह व्यक्ति है जिसने **18** वर्ष की आयु पूरी नहीं की है**,** और कानून के साथ टकराव में एक बच्चा/किशोर है जो अपराध करता है जब वह बच्चा/किशोर **18** वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता है।**'**धारा **2 (45)** के तहत 'छोटे अपराधों' को उन अपराधों के लिए परिभाषित किया गया है जिनके लिए आई**.** पी**.** सी**.** सहित किसी भी कानून के तहत प्रदान की गई अधिकतम सजा **3** साल तक की कैद है।**'**गंभीर अपराधों का अर्थ है**,** ऐसे अपराध जिनके लिए किसी भी कानून के तहत सजा **3** से **7** साल के बीच का कारावास है।**'**जघन्य अपराधों को उन अपराधों के लिए परिभाषित किया गया है जिनके लिए किसी भी कानून के तहत न्यूनतम सजा **7** साल या उससे अधिक की कारावास है।यह उस विषय पर पिछले कानून से अलग था जहां अपराधों को जघन्य या गंभीर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था।**2015** के अधिनियम की धारा **14** इन विभिन्न श्रेणियों के तहत कानून के साथ टकराव में एक बच्चे के संबंध में जांच करते समय किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करती है।**[**पारस **13** और **14] [488** ई-एच**]**

बी.

सी.

डी.

2. गंभीर अपराधों की जांच का निपटारा **Cr.PC** के तहत समन मामलों में सुनवाई की प्रक्रिया का पालन करके किया जाना चाहिए। जहां तक जघन्य अपराधों का संबंध है**,** अगर बच्चा **16** साल से कम उम्र का है तो गंभीर अपराधों के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि बच्चा **16** वर्ष से अधिक आयु का है तो धारा **15** के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाना चाहिए।उपरोक्त वर्गीकरण एक उद्देश्य के साथ किया गया है जो **2015** के अधिनियम की धारा **15** में परिलक्षित होता है।**[**पारस **15** और **16] [489** एफ**-**जी**]**

ई.

एफ.

3. धारा **15** में प्रावधान है कि यदि बाल अपराधी ने कोई जघन्य अपराध किया है**,** तो किशोर न्याय बोर्ड ऐसे अपराध को करने के लिए ऐसे बच्चे की मानसिक और शारीरिक क्षमता**,** अपराध के परिणाम को समझने की बच्चे की क्षमता और उन परिस्थितियों के संबंध में प्रारंभिक मूल्यांकन करेगा जिनमें उक्त अपराध कथित रूप से किया गया था।बोर्ड अनुभवी मनोवैज्ञानिकों**,** मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं या क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों की मदद लेने का हकदार है।स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक मूल्यांकन मुकदमे के गुण**-**दोष या उसके खिलाफ आरोपों में नहीं जाना है।

जी.

एच.

480 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 2 एस. सी. आर.

ए.

बच्चे को।जाँच केवल बच्चे की अपराध करने की क्षमता का आकलन करने और अपराध के परिणाम को समझने के लिए की जाती है।यदि बोर्ड संतुष्ट है कि बोर्ड द्वारा मामले का निपटारा किया जा सकता है**,** तो बोर्ड **Cr.PC** के तहत समन मामलों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा। **2015** के अधिनियम की धारा **19** बाल न्यायालय को धारा **15** के तहत बोर्ड के प्रारंभिक मूल्यांकन का पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार देती है।**[**पारस **16** और **17] [490** ई**-**एच**]**

बी.

4. 2015 के अधिनियम के तहत गठित बाल न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि क्या वास्तव में **Cr.PC** के प्रावधानों के तहत एक वयस्क के रूप में बच्चे पर मुकदमा चलाने की कोई आवश्यकता है और इस संबंध में उचित आदेश पारित करना है।बाल न्यायालय को बच्चे की विशेष जरूरतों**,** निष्पक्ष मुकदमे के सिद्धांतों और बच्चों के अनुकूल वातावरण बनाए रखने पर भी विचार करना चाहिए।न्यायालय यह भी अभिनिर्धारित कर सकता है कि बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है।भले ही बाल न्यायालय का मानना है

कि बच्चे पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंतिम आदेश में धारा **19** की उप-धारा **(2)** में निर्दिष्ट बच्चे के पुनर्वास के लिए एक व्यक्तिगत देखभाल योजना शामिल है।इसके अलावा, उप-धारा **(3)** के तहत ऐसे बच्चे को सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए और उसे तब तक जेल नहीं भेजा जा सकता जब तक कि बच्चा **21** वर्ष का नहीं हो जाता, भले ही ऐसे बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना हो।यह भी प्रावधान किया गया है कि हालांकि बच्चे को एक वयस्क के रूप में परीक्षण किया जा सकता है, सुधारात्मक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, कौशल विकास, वैकल्पिक चिकित्सा, परामर्श, व्यवहार संशोधन और मनोरोग सहायता उस अवधि के दौरान प्रदान की जाती है जब बच्चे को सुरक्षा के स्थान पर रखा जाता है।**2015** के अधिनियम की धारा **21** में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कानून के साथ टकराव में किसी भी बच्चे को रिहाई की संभावना के बिना मौत या आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जाएगी, चाहे वह अधिनियम के तहत हो या आई. पी. सी. या किसी अन्य कानून के तहत।**[**पारस **18** और **19] [491** एच**; 492** ए-डी**]**

सी.

डी.

ई.

एफ.

5.1 यह सच है कि किसी भी परिस्थिति में, यह न्यायालय किसी क़ानून से शब्दों को जोड़ या घटा भी सकता है।हालाँकि, यह तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल की मंशा स्पष्ट हो।यह आवश्यक नहीं है कि विधानमंडल का इरादा वही हो जो न्यायाधीश को लगता है कि होना चाहिए।यदि विधानमंडल का इरादा स्पष्ट है तो न्यायालय क़ानून के कलात्मक या अनाड़ी शब्दों पर काबू पा सकता है।हालाँकि, जब क़ानून के शब्द स्पष्ट होते हैं ए

जी.

एच.

481

शिल्पा मित्तल बनाम दिल्ली और ए. एन. आर. की राष्ट्रीय राजधानी का राज्य।

लेकिन विधानमंडल का इरादा स्पष्ट नहीं है, न्यायालय इसे एक अर्थ देने के लिए क़ानून से शब्दों को जोड़ या घटा नहीं सकता है जो न्यायालय को लगता है कि चीजों की योजना में फिट होगा।**[**पैरा **28] [490** डी-ई**]**

5.2 इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि यदि विधानमंडल का इरादा अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों से पूरी तरह से स्पष्ट है तो न्यायालय उस व्यक्ति द्वारा की गई त्रुटियों को ठीक कर

सकता है जिसने विधान का मसौदा तैयार किया था और विधान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए शब्दों को लिख सकता है या हटा सकता है/हटा सकता है/जोड़ सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि विधान को एक अर्थ दिया गया है जो विधानमंडल द्वारा अभिप्रेत था।**[**पैरा **29] [496F-G]**

बी.

सी.

5.3 न्यायालय को किसी अधिनियम की व्याख्या करते समय यह भी देखना चाहिए कि अधिनियम का उद्देश्य क्या है। **2015** के अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कानून के साथ टकराव में आने वाले बच्चों के साथ अलग से व्यवहार किया जाए न कि वयस्कों की तरह।दिल्ली में **16** दिसंबर**, 2012** को बलात्कार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद**,** जिसमें एक किशोर शामिल था**,** समाज के कुछ वर्गों से आह्वान किया गया था कि इस तरह के जघन्य अपराधों में लिप्त किशोरों के साथ बच्चों की तरह व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।इन परिस्थितियों में**,** यह कहना कि विधानमंडल का इरादा **7** साल से अधिक की सजा वाले सभी अपराधों को 'जघन्य अपराधों' की श्रेणी में शामिल करना था**,** उचित नहीं होगा।जब धारा की भाषा स्पष्ट है और यह जघन्य अपराधों से निपटने के दौरान न्यूनतम **7** साल के कारावास की सजा निर्धारित करती है तो न्यायालय 'न्यूनतम' शब्द को हटा नहीं सकता है।**[**पैरा **30] [496** जी**-**एच**; 497** ए**-**बी**]**

डी.

ई.

5.4 इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून बनाने वालों द्वारा एक बड़ी गलती की गई प्रतीत होती है।यह कानून अपराधों की चौथी श्रेणी को ध्यान में नहीं रखता है।इस तरह के अपराध करने वाले किशोर से कैसे और किस तरीके से निपटा जाना चाहिए**,** यह कुछ ऐसा था जिसे विधानमंडल को अधिनियम में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए था। एक दुर्भाग्यपूर्ण अंतर है। न्यायालय यह कहकर इस कमी को पूरा नहीं कर सकता कि इन अपराधों को जघन्य अपराधों के रूप में माना जाना चाहिए।जहाँ एक ओर इस श्रेणी में कुछ अपराध हैं जिन्हें सामान्य भाषा में जघन्य कहा जा सकता है**,** वहीं कई अन्य अपराध हैं जिन्हें जघन्य अपराध नहीं कहा जा सकता है।कानून बनाना इस न्यायालय का काम नहीं है।न्यायालय कमियों को भर सकता है लेकिन कोई कानून नहीं बना सकता है**,** खासकर जब

एफ.

जी.

एच.

ए.

विधायिका ने स्वयं एक अधिनियम बनाया है।न्यायालय को इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि **2015** के अधिनियम की योजना यह है कि बच्चों की रक्षा की जानी चाहिए।बच्चों के साथ वयस्कों की तरह व्यवहार करना नियम का एक अपवाद है।यह वैधानिक व्याख्या का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत भी है कि आम तौर पर एक अपवाद को एक सीमित अर्थ दिया जाना चाहिए।**[**पैरा **31] [497** सी**-**ई**]**

बी.

6. बॉम्बे**,** पटना और पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालयों ने यह विचार रखा है कि 'जघन्य अपराधों' की श्रेणी में चौथी श्रेणी में आने वाले अपराध शामिल नहीं हो सकते हैं।इस न्यायालय के संज्ञान में कोई विपरीत दृष्टिकोण नहीं लाया गया है।अलग दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं है।**[**पैरा **32] [497** एफ**]**

सी.

7. धारा **14,15** और **19** की योजना से यह स्पष्ट है कि विधानमंडल ने महसूस किया कि किशोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने से पहले एक बहुत विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।अगर कोई बच्चा भी कोई जघन्य अपराध करता है**,** तो भी उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।यह भी स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि 'जघन्य अपराध' शब्दों के अर्थ को परिभाषा से 'न्यूनतम' शब्द को हटाकर विस्तारित नहीं किया जा सकता है।**[**पैरा **34] [498** सी**]**

डी.

8. हालाँकि न्यायालय का विचार है कि 'न्यूनतम' शब्द को अधिशेष नहीं माना जा सकता है**,** फिर भी न्यायालय यह तय करने के लिए बाध्य है कि चौथी श्रेणी में आने वाले अपराध करने वाले बच्चों से कैसे निपटा जाए।यह न्यायालय कानून नहीं बना सकता है।हालाँकि**,** यदि यह न्यायालय इस मुद्दे पर विचार नहीं करता है**,** तो किशोर न्याय बोर्डों को उन बच्चों से निपटने के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं मिलेगा जिन्होंने ऐसे अपराध किए हैं जो निश्चित रूप से गंभीर हैं**,** या गंभीर अपराधों से अधिक हो सकते हैं**,** भले ही वे जघन्य अपराध न हों।चूँकि दो विचार संभव हैं**,** इसलिए न्यायालय एक ऐसा दृष्टिकोण रखना पसंद करेगा जो बच्चों के पक्ष में हो और विधानमंडल को इस मामले में निर्णय लेना चाहिए**,** लेकिन जब तक वह ऐसा नहीं करता है**,** तब तक संविधान के अनुच्छेद **142** के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए**,** यह निर्देश दिया जाता है कि **2015** का अधिनियम लागू होने की तारीख से**,** चौथी श्रेणी में आने वाले अपराध करने वाले सभी बच्चों के साथ उसी तरह से व्यवहार किया जाएगा जैसे उन बच्चों के साथ किया गया है जिन्होंने 'गंभीर अपराध' किए हैं।**[**पैरा **35] [498** सी**-**एफ**]** ए

ई.

एफ.

जी.

एच.

483

शिल्पा मित्तल बनाम दिल्ली और ए. एन. आर. की राष्ट्रीय राजधानी का राज्य।

9. इसलिए, एक अपराध जो न्यूनतम **7** साल की सजा का प्रावधान नहीं करता है, उसे जघन्य अपराध नहीं माना जा सकता है।हालांकि, यह अधिनियम चौथी श्रेणी के अपराधों से संबंधित नहीं है।, अपराध जहाँ अधिकतम सजा **7** वर्ष से अधिक है, लेकिन कोई न्यूनतम सजा या **7** वर्ष से कम की न्यूनतम सजा का प्रावधान नहीं है, अधिनियम के अर्थ के भीतर 'गंभीर अपराध' के रूप में माना जाएगा और तदनुसार व्यवहार किया जाएगा जब तक कि संसद इस मामले पर निर्णय नहीं लेती है।**[**पैरा **36] [498** जी**-**जे**] [499-**ए**]**

बी.

10. विवादित फैसले में कानून के साथ संघर्ष में बच्चे के नाम का खुलासा किया गया है।यह **2015** के अधिनियम की धारा **74** के प्रावधानों और अदालतों के विभिन्न निर्णयों के अनुसार नहीं है।उच्च न्यायालय को फैसले को सही करने और कानून के साथ संघर्ष में बच्चे का नाम हटाने का निर्देश दिया जाता है। **[**पैरा **37] [499** ए**-**बी**]**

सी.

11. इस निर्णय की एक प्रति सचिव विधि, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार और सचिव, गृह मंत्रालय और महापंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय को भेजने का निर्देश दिया जाता है, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि इस निर्णय में उठाए गए मुद्दे को संसद द्वारा जल्द से जल्द या कार्यपालिका द्वारा एक अध्यादेश जारी करके संबोधित किया जाए।इस फैसले के निर्देश केवल तब तक लागू रहेंगे जब तक कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती।**[**पैरा **38] [499** बी**-**डी**]**

डी.

ई.

वसंत गणपत पदवे बनाम अनंत महादेव सावंत **2019**

एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 1226-**पर निर्भर था।

एफ.

सौरभ जलिंदर नांगरे और अन्य बनामकी स्थिति

महाराष्ट्र 2019 (1) अपराध 253 (बम); राजीव कुमार बनाम बिहार राज्य आपराधिक (एस. जे.) 2018 का सं. 1 716 निर्णय दिनांक 18.09.2018; बिजेंद्र बनाम हरियाणा राज्य और 2018 का एक अन्य सी. आर. आर. 1615 निर्णय दिनांक 21 मई, 2018-अनुमोदित।

जी.

शीला बारसे (द्वितीय) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1986) 3 एस. सी. सी. 632; सलिल बाली बनाम भारत संघ और अन्य (2013) 7 एस. सी. सी. 705; सुब्रमण्यम स्वामी

एच.

ए.

और अन्य बनाम सदस्य, किशोर न्याय के माध्यम से राजू

बोर्ड और दूसरा (2014) 8 एस. सी. सी. 390:[2014] 9 एस. सी. आर. 283-संदर्भित।

ग्रे बनाम पियर्सन (1857) 6 एच. एल. सी. 61; सैल्मन बनाम।

डनकोम्ब और अन्य (1886) 11 एसी 627; मैक मोनागल बनाम वेस्टमिंस्टर सिटी काउंसिल [1990] 2 ए. सी. 716 -

बी.

संदर्भित किया गया।

"न्यायमूर्ति जी**.** पी**.** द्वारा वैधानिक व्याख्या का सिद्धांत।

सिंह का**-**संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

सी.

(1986) 3 एस**.** सी**.** सी**. 632**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6**

(2013) 7 एससीसी **705**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

[2014] 9 एससीआर **283**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

2019 (1) अपराध **253 (**बम**)**।मंजूरी मिल गई।

पैरा **32**

डी.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2020 की आपराधिक अपील संख्या 34।

2019 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 351 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 01.05.2019 के निर्णय और आदेश से।सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री प्रिथा श्रीकुमार अय्यर, सुश्री अरुणिमा केडिया, सुश्री सयाली के., सुश्री मेनका खन्ना, अक्षय सहगल, कुणाल मिमानी, सैफ-यू-दीन, सुश्री प्रिथा श्रीकुमार, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।सुश्री सोनिया माथुर, मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्तागण , मोहन प्रसाद गुप्ता, सुश्री सुनीता शर्मा, सुशील दुबे, सुश्री दिव्या ए. नायर, सुश्री अंजू अग्रवाल, पुनीत पाठक (बी. वी. बलराम दास के लिए), हृषिकेश बरुआ, सिद्धांत कौशिक, आशीष कुमार, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

ई.

एफ.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दीपाक गुप्ता**,** जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

जी.

2. “क्या किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (33) के अर्थ के भीतर 7 साल से अधिक कारावास की अधिकतम सजा निर्धारित करने वाले अपराध को, लेकिन कोई न्यूनतम सजा प्रदान नहीं करने या 7 साल से कम की न्यूनतम सजा प्रदान करने वाले अपराध को 'जघन्य अपराध' माना जा सकता है?” यह अत्यंत महत्वपूर्ण और दिलचस्प मुद्दा है जो इस मामले में उत्पन्न होता है।

एच.

शिल्पा मित्तल बनाम दिल्ली और ए. एन. आर. की राष्ट्रीय राजधानी का राज्य। [दीपाक गुप्ता, जे.]

ए.

3. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि एक किशोर 'एक्स' पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में आई. पी. सी.) की धारा 304 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया जाता है, जो अपराध आजीवन कारावास या 10 साल तक की अधिकतम सजा और पहले भाग में जुर्माना और 10 साल तक की कैद या जुर्माना, या दूसरे भाग में दोनों के साथ दंडनीय है।कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं है।

बी.

4. मोटर वाहन दुर्घटना में मृतक अपीलार्थी का भाई था।घटना के समय किशोर की आयु 16 वर्ष से अधिक थी लेकिन 18 वर्ष से कम थी।किशोर न्याय बोर्ड ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से कहा कि किशोर 'एक्स' ने एक जघन्य अपराध किया है, और इसलिए, एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए।बाल न्यायालय में दायर अपील को भी 11.02.2019 पर खारिज कर दिया गया था।इसके बाद, किशोर 'एक्स' ने अपनी मां के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने आदेश 01.05.2019 के माध्यम से कहा कि चूंकि विचाराधीन अपराध के लिए कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं है, इसलिए उक्त अपराध किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (33) के दायरे में नहीं आता है।इस आदेश को इस अपील में चुनौती दी गई है।

सी.

डी.

5. हमने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ लूथरा और विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी और किशोर 'एक्स' की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषिकेश बरुआ को सुना है।6. पक्षों की दलीलों की सराहना करने के लिए, भारत में किशोर न्याय अधिनियम के इतिहास और विकास का संक्षिप्त संदर्भ देना प्रासंगिक होगा।भारत में बच्चों को नियंत्रित करने के लिए कोई अखिल भारतीय अधिनियम नहीं था, और कुछ राज्यों के अपने अधिनियम थे, जैसे मद्रास बाल अधिनियम, 1920।संघ ने 1960 का बाल अधिनियम भी लागू किया था, लेकिन यह केवल केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू था, राज्यों पर नहीं।

ई.

इसलिए**,** शीला बारसे **(**द्वितीय**)** और अन्य बनाम संघ के मामले में यह न्यायालय

एफ.

भारत और अन्य 1, निम्नानुसार देखे गएः- “4. हमने 5 अगस्त, 1986 के अपने आदेश द्वारा राज्य सरकारों से विभिन्न राज्यों में अधिनियमित बाल अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करने और उन्हें सख्ती से लागू करने का आह्वान किया है।लेकिन हम सुझाव देंगे कि प्रत्येक राज्य का अपना बाल अधिनियम अन्य राज्यों के बाल अधिनियम से प्रक्रिया और विषय वस्तु में अलग होने के बजाय, यह वांछनीय होगा कि केंद्र सरकार इस विषय पर संसदीय कानून बनाए, ताकि विभिन्न कानूनों के संबंध में पूरी तरह से एकरूपता रहे।

जी.

1 (1986) 3 एससीसी 632 ए

एच.

देश के पूरे क्षेत्र में बच्चों से संबंधित प्रावधान।

यह उल्लेख करना उचित होगा कि ये टिप्पणियां बाल अधिकारों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे विकास के संदर्भ में की गई थीं।संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 नवंबर, 1985 को किशोर न्याय प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियमों को अपनाया।इन नियमों को आमतौर पर बीजिंग नियम के रूप में जाना जाता है।नियमों का खंड 4 इस प्रकार हैः-

बी.

“ 4.1 उन कानूनी प्रणालियों में जो किशोरों के लिए आपराधिक जिम्मेदारी की उम्र की अवधारणा को मान्यता देते हैं, उस उम्र की शुरुआत भावनात्मक, मानसिक और बौद्धिक परिपक्वता के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बहुत कम उम्र के स्तर पर तय नहीं की जाएगी।”

सी.

7. जैसा कि स्पष्ट है, नियमों ने कोई निर्दिष्ट आयु निर्धारित नहीं की और विभिन्न प्रासंगिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपने घरेलू कानूनों को तैयार करने के लिए इसे प्रत्येक देश पर छोड़ दिया।

डी.

8. बीजिंग नियमों को अपनाने के बाद, भारत ने किशोर न्याय अधिनियम, 1986 लागू किया। इस अधिनियम में, धारा 2 (एच) के तहत किशोर को परिभाषित किया गया था जिसका अर्थ है एक लड़का जो 16 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं कर पाया है या एक लड़की जो 18 वर्ष की आयु

को प्राप्त नहीं कर पाई है।ऐसा किशोर विभिन्न सुरक्षाओं का हकदार था और किए गए अपराध की प्रकृति की परवाह किए बिना ये सुरक्षाएं समान थीं।

ई.

9. बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (संक्षेप में सी. आर. सी.) को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 नवंबर, 1989 को अपनाया गया था और यह सम्मेलन 2 सितंबर, 1990 को लागू हुआ था।सी. आर. सी. के अनुच्छेद 1 के तहत एक बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया था।हालाँकि, यदि घरेलू कानून में यह प्रावधान किया गया है कि बच्चा 18 वर्ष की आयु से कम आयु में बालिग हो गया है, तो उसे वह आयु माना जाएगा जब तक बच्चा किशोर रहेगा।घरेलू कानूनों के तहत किशोरावस्था की आयु तय करने का विवेक अलग-अलग देशों पर छोड़ दिया गया था।

एफ.

जी.

10. अगला विकास किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (इसके बाद 2000 के अधिनियम के रूप में संदर्भित) का अधिनियमन था जिसने किशोर न्याय अधिनियम, 1986 को निरस्त कर दिया।2000 के अधिनियम के तहत एक किशोर या बच्चे को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया था जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी।ए के साथ संघर्ष में एक किशोर भी

एच.

कानून को एक किशोर के रूप में परिभाषित किया गया था जिस पर अपराध करने का आरोप लगाया गया था।चूंकि आयु निर्धारित करने की तारीख के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं थी, इसलिए कानून के साथ संघर्ष में किशोर की परिभाषा में संशोधन किया गया और कानून के साथ संघर्ष में किशोर का अर्थ एक किशोर के रूप में परिभाषित किया गया है, जिस पर अपराध करने का आरोप है और जिसने अपराध करने के दिन 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

बी.

11. दिसंबर 2012 में दिल्ली में एक युवा लड़की (पहचान 'निर्भया' को देखते हुए) के साथ बलात्कार और हत्या की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी।अपराध में शामिल व्यक्तियों में से एक नाबालिग था, जिसकी उम्र साढ़े 17 साल थी।इससे समाज से कानून को फिर से देखने का

आह्वान किया गया और समाज के कुछ वर्गों ने महसूस किया कि 'किशोर' शब्द को बहुत व्यापक अर्थ दिया गया है और किशोरों के साथ नरमी से व्यवहार किया गया है।ऐसे ही एक मामले में सलिल

सी.

बाली बनाम भारत संघ और अन्य **2,** इस न्यायालय ने रिट को खारिज कर दिया

याचिका जिसमें 2000 के अधिनियम की धारा 2 (के), 2 (एल) और 15 पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था।इसके बाद, सुब्रमण्यम स्वामी नामक एक रिट याचिका दायर की गई।

और अन्य बनाम राजू सदस्य**,** किशोर न्याय बोर्ड के माध्यम से और

डी.

अन्य 3 को 2000 के अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देते हुए दायर किया गया था, विशेष रूप से किशोरों के वर्गीकरण के संबंध में।यह याचिका भी खारिज कर दी गई थी।इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसके साथ किशोर के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए, यह निर्णय विधानमंडल को लेना है और अदालतें इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती हैं।

ई.

12. इसके बाद, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (इसके बाद 2015 के अधिनियम को संदर्भित किया गया) अधिनियमित किया गया।पहली बार 2015 का अधिनियम पहले के अधिनियमों से अलग था।चूँकि यह अधिनियम इस मामले में चर्चा का विषय है, हम अधिनियम के निम्नलिखित प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख कर सकते हैं।

एफ.

“धारा 2 (12) "बालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;

धारा 2 (13) "कानून के साथ संघर्ष में बच्चा" का अर्थ है एक बच्चा जिस पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है या पाया गया है और जिसने इस तरह के अपराध की तारीख को अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;

जी.

XXX XXX XXX

2 (2013) 7 एससीसी 705 3 (2014) 8 एससीसी 390 ए

एच.

धारा 2 (33) "जघन्य अपराधों" में वे अपराध शामिल हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत न्यूनतम सजा सात साल या उससे अधिक की कारावास है।

XXX XXX XXX

बी.

धारा 2 (35) "किशोर" का अर्थ है अठारह वर्ष से कम आयु का बच्चा;

XXX XXX XXX धारा 2 (45) "छोटे अपराधों" में वे अपराध शामिल हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या किसी अन्य कानून के तहत अधिकतम सजा तीन साल तक की कैद है।

सी.

"गंभीर अपराधों" में वे अपराध शामिल हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत सजा तीन से सात साल के बीच का कारावास है।

डी.

13. धारा 2 (12), 2 (13) और 2 (35) को नंगे पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एक बच्चा या एक किशोर वह व्यक्ति है जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी नहीं हुई है, और कानून के साथ संघर्ष में एक बच्चा/किशोर है जो एक अपराध करता है जब वह बच्चा/किशोर 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता है।'धारा 2 (45) के तहत 'छोटे अपराधों' को उन अपराधों के लिए परिभाषित किया गया है जिनके लिए आई. पी. सी. सहित किसी भी कानून के तहत प्रदान की गई अधिकतम सजा 3 साल तक की कैद है।'गंभीर अपराधों का अर्थ है, ऐसे अपराध जिनके लिए किसी भी कानून के तहत सजा 3 से 7 साल के बीच का कारावास है।'जघन्य अपराधों को उन अपराधों के लिए परिभाषित किया गया है जिनके लिए किसी भी कानून के तहत न्यूनतम सजा 7 साल या उससे अधिक की कारावास है।यह उस विषय पर पिछले कानून से अलग था जहां अपराधों को जघन्य या गंभीर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था।

ई.

एफ.

जी.

14. 2015 के अधिनियम की धारा 14 इन विभिन्न श्रेणियों के तहत कानून के साथ टकराव में एक बच्चे के संबंध में जांच करते समय किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करती है।हम मुख्य रूप से उप-धारा (5) (डी), (ई) और (एफ) से संबंधित हैं, जो इस प्रकार हैः- ए.

एच.

489

शिल्पा मित्तल बनाम दिल्ली और ए. एन. आर. की राष्ट्रीय राजधानी का राज्य। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

“14. कानून के साथ संघर्ष में बच्चे के संबंध में बोर्ड द्वारा जांच।

XXX XXX XXX

(5) बोर्ड निष्पक्ष और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएगा, अर्थात्ः —

(क).....
.....

बी.

सी.

(ई) गंभीर अपराधों की जांच का निपटारा बोर्ड द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के तहत समन मामलों में मुकदमे के लिए प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा।

(च) जघन्य अपराधों की जांच-(i) अपराध करने की तारीख को सोलह वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए बोर्ड द्वारा खंड (ङ) के तहत निपटाया जाएगा।

डी.

((ii) अपराध करने की तारीख को सोलह वर्ष की आयु से अधिक के बच्चे के साथ धारा 15 के तहत निर्धारित तरीके से निपटा जाएगा।”

ई.

15. गंभीर अपराधों की जांच का निपटारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में Cr.PC) के तहत समन मामलों में मुकदमे की प्रक्रिया का पालन करके किया जाना चाहिए।जहाँ तक जघन्य अपराधों का संबंध है यदि बच्चा 16 वर्ष से कम आयु का है तो गंभीर अपराधों के लिए निर्धारित

प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए; लेकिन यदि बच्चा 16 वर्ष से अधिक आयु का है तो धारा 15 के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

एफ.

16. उपरोक्त वर्गीकरण एक उद्देश्य के साथ किया गया है जो 2015 के अधिनियम की धारा 15 में परिलक्षित होता है, जो इस प्रकार हैः-

जी.

“15. द्वारा जघन्य अपराधों का प्रारंभिक मूल्यांकन

बोर्ड।- (1) सोलह वर्ष की आयु पूरी कर चुके या उससे अधिक आयु के बच्चे द्वारा किए गए कथित जघन्य अपराध के मामले में, बोर्ड ऐसा करने के लिए उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता के संबंध में प्रारंभिक मूल्यांकन करेगा।

एच.

अपराध, अपराध के परिणामों और उन परिस्थितियों को समझने की क्षमता जिसमें उसने कथित रूप से अपराध किया था, और धारा 18 की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित कर सकता हैः

बशर्ते कि इस तरह के मूल्यांकन के लिए बोर्ड अनुभवी मनोवैज्ञानिकों या मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है।

बी.

स्पष्टीकरण।—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक मूल्यांकन एक परीक्षण नहीं है, बल्कि कथित अपराध के परिणामों को करने और समझने के लिए ऐसे बच्चे की क्षमता का आकलन करना है।

सी.

(2) जहां बोर्ड को प्रारंभिक मूल्यांकन पर संतोष होता है कि बोर्ड द्वारा मामले का निपटारा किया जाना चाहिए, तो बोर्ड दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के तहत समन मामले में मुकदमे के लिए, जहां तक हो सके, प्रक्रिया का पालन करेगाःबशर्ते कि मामले के निपटारे के लिए बोर्ड का आदेश धारा 101 की उप-धारा (2) के तहत अपील योग्य होगा।

डी.

बशर्ते कि इस धारा के तहत मूल्यांकन धारा 14 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

इस धारा में प्रावधान है कि यदि बाल अपराधी ने कोई जघन्य अपराध किया है, तो किशोर न्याय बोर्ड ऐसे अपराध को करने के लिए ऐसे बच्चे की मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणाम को समझने की बच्चे की क्षमता और उन परिस्थितियों के संबंध में प्रारंभिक मूल्यांकन करेगा जिनमें उक्त अपराध कथित रूप से किया गया था।बोर्ड अनुभवी मनोवैज्ञानिकों, मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं या क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों की मदद लेने का हकदार है।स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक मूल्यांकन मुकदमे के गुण-दोष या बच्चे के खिलाफ आरोपों में नहीं जाना है।जाँच केवल बच्चे की अपराध करने की क्षमता का आकलन करने और अपराध के परिणाम को समझने के लिए की जाती है।यदि बोर्ड संतुष्ट है कि बोर्ड द्वारा मामले का निपटारा किया जा सकता है, तो बोर्ड Cr.PC. 17 के तहत समन मामलों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा।2015 के अधिनियम की धारा 19 बाल न्यायालय को धारा 15 के तहत बोर्ड के प्रारंभिक मूल्यांकन का पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार देती है।वह इस प्रकार हैः- ए.

ई.

एफ.

जी.

एच.

491

शिल्पा मित्तल बनाम दिल्ली और ए. एन. आर. की राष्ट्रीय राजधानी का राज्य। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

“19. बाल न्यायालय की शक्तियाँ-(1) की प्राप्ति के बाद

धारा 15 के तहत बोर्ड से प्रारंभिक मूल्यांकन, बाल न्यायालय यह निर्णय ले सकता है कि -

(i) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधानों के अनुसार एक वयस्क के रूप में बच्चे पर मुकदमा चलाने और बच्चे की विशेष जरूरतों, निष्पक्ष मुकदमे के सिद्धांतों और बच्चों के अनुकूल वातावरण बनाए रखने पर विचार करते हुए इस धारा और धारा 21 के प्रावधानों के अधीन परीक्षण के बाद उचित आदेश पारित करने की आवश्यकता है।

बी.

((ii) एक वयस्क के रूप में बच्चे पर मुकदमा चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है और वह एक बोर्ड के रूप में जांच कर सकता है और धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार उचित आदेश पारित कर सकता है।

सी.

(2) बाल न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि कानून के साथ संघर्ष में एक बच्चे के संबंध में अंतिम आदेश में बच्चे के पुनर्वास के लिए एक व्यक्तिगत देखभाल योजना शामिल होगी, जिसमें परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई शामिल होगी।

डी.

(3) बाल न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि जो बच्चा कानून के साथ टकराव में पाया जाता है, उसे 21 वर्ष की आयु तक सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए और उसके बाद उस व्यक्ति को जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएः

ई.

बशर्ते कि बच्चे को सुरक्षा के स्थान पर रहने की अवधि के दौरान शैक्षिक सेवाओं, कौशल विकास, वैकल्पिक चिकित्सा जैसे परामर्श, व्यवहार संशोधन चिकित्सा और मनोरोग सहायता सहित सुधारात्मक सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

एफ.

(4) बाल न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षा के स्थान पर बच्चे की प्रगति का मूल्यांकन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी रूप में बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो, परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा हर साल एक आवधिक अनुवर्ती रिपोर्ट हो।

जी.

(5) उप-धारा (4) के तहत रिपोर्ट को रिकॉर्ड और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बाल न्यायालय को भेजा जाएगा, जिसकी आवश्यकता हो।"18. 2015 के अधिनियम के तहत गठित बाल न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि क्या वास्तव में बच्चे पर मुकदमा चलाने की कोई आवश्यकता है।

एच.

Cr.PC के प्रावधानों के तहत वयस्क और इस संबंध में उचित आदेश पारित करें।बाल न्यायालय को बच्चे की विशेष जरूरतों, निष्पक्ष मुकदमे के सिद्धांतों और बच्चों के अनुकूल वातावरण बनाए रखने पर भी विचार करना चाहिए।न्यायालय यह भी अभिनिर्धारित कर सकता है कि बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है।भले ही बाल न्यायालय का मानना है कि बच्चे पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंतिम आदेश में धारा 19 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट बच्चे के पुनर्वास के लिए एक व्यक्तिगत देखभाल योजना शामिल है।इसके अलावा, उप-धारा (3) के तहत ऐसे बच्चे को सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए और जब तक बच्चा 21 वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक उसे जेल नहीं भेजा जा सकता है, भले ही ऐसे बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना हो।यह भी प्रावधान किया गया है कि हालांकि बच्चे को एक वयस्क के रूप में परीक्षण किया जा सकता है, सुधारात्मक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, कौशल विकास, वैकल्पिक चिकित्सा, परामर्श, व्यवहार संशोधन और मनोरोग सहायता उस अवधि के दौरान प्रदान की जाती है जब बच्चे को सुरक्षा के स्थान पर रखा जाता है।19. 2015 के अधिनियम की धारा 21 का उल्लेख करना भी उचित होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कानून के साथ टकराव में किसी भी बच्चे को रिहाई की संभावना के बिना मौत या आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जाएगी, चाहे वह अधिनियम के तहत हो या आई. पी. सी. के तहत, या किसी अन्य कानून के तहत।

बी.

सी.

डी.

20. श्री सिद्धार्थ लूथरा द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यदि अपराधों की परिभाषाओं, अर्थात, तुच्छ, गंभीर और जघन्य को शाब्दिक रूप से पढ़ा जाता है तो अपराधों की एक श्रेणी है जो 2015 के अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती है।वह प्रस्तुत करता है कि छोटे अपराध वे अपराध हैं जहां सजा 3 साल तक है, गंभीर अपराध वे हैं जहां अधिकतम सजा 7 साल है, और जहां तक जघन्य अपराधों का संबंध है, अगर परिभाषा को शाब्दिक रूप से पढ़ा जाए, तो ये केवल वे अपराध हैं जो न्यूनतम 7 साल और उससे अधिक की सजा प्रदान करते हैं।वह प्रस्तुत करता है कि यह चौथी श्रेणी के भीतर आने वाले कई अपराधों को छोड़ देता है।अपराधों की चौथी श्रेणी वे हैं जहां न्यूनतम सजा 7 साल से कम है, या कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं है लेकिन अधिकतम सजा 7 साल से अधिक है।उन्होंने ऐसे अपराधों का एक चार्ट प्रस्तुत किया है। विस्तार में चार्ट निर्धारित करना आवश्यक नहीं है, लेकिन हम इनमें से कुछ अपराधों पर प्रकाश डाल सकते हैं।इनमें से कुछ अपराध उकसाने से संबंधित हैं, लेकिन इनमें आई. पी. सी. की धारा 121 ए, 122 के तहत अपराध, मुद्रा की जालसाजी से संबंधित अपराध, हत्या (वर्तमान मामले की तरह), बच्चे या निर्दोष व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना और कई अन्य अपराध

भी शामिल हैं।वे प्रस्तुत करते हैं कि इन अपराधों को छोड़ना विधानमंडल का इरादा नहीं हो सकता था और वे कम से कम किसी श्रेणी में होने चाहिए थे।श्री लूथरा का निवेदन ए है

ई.

एफ.

जी.

एच.

493

शिल्पा मित्तल बनाम दिल्ली और ए. एन. आर. की राष्ट्रीय राजधानी का राज्य। [दीपाक गुप्ता, जे.]

कि यदि 'जघन्य अपराधों' की परिभाषा से 'न्यूनतम' शब्द को हटा दिया जाता है तो छोटे और गंभीर अपराधों के अलावा अन्य सभी अपराध 'जघन्य अपराधों' के शीर्षक के तहत आएंगे।वे प्रस्तुत करते हैं कि यदि अपराधों की चौथी श्रेणी को छोड़ दिया जाता है तो इसके परिणामस्वरूप एक बेतुकी बात होगी जो विधानमंडल की मंशा नहीं हो सकती थी।वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि अधिशेष के सिद्धांत को लागू करते हुए, यदि 'न्यूनतम' शब्द को हटा दिया जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।

बी.

21. दूसरी ओर, किशोर 'एक्स' के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह न्यायालय कानून को फिर से नहीं लिख सकता है।वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय द्वारा विधानमंडल के इरादे को केवल इस आधार पर नहीं समझा जा सकता है कि अपराधों की एक श्रेणी को छोड़ दिया गया है।यदि अधिनियम की योजना में कोई कमी है तो यह विधायिका पर है कि वह कमी को ठीक करे और यह न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

सी.

22. यह सच है कि अगर हम श्री लूथरा के समर्पण को स्वीकार करते हैं, तो चीजें ठीक हो जाएंगी।अपराधों की केवल 3 श्रेणियां होंगी और 7 साल और उससे अधिक के कारावास से दंडनीय सभी अपराधों को 'जघन्य अपराध' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।हालाँकि, हम एक जिगसॉ पहेली को हल नहीं कर रहे हैं जहाँ हमें सभी टुकड़ों को जगह में रखना होगा।हम एक क़ानून की व्याख्या कर रहे हैं जिसकी व्याख्या उसकी भाषा और इरादे के अनुसार की जानी चाहिए।

डी.

23. व्याख्या का स्वर्ण नियम हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा ग्रे बनाम पियर्सन 4 में निम्नानुसार निर्धारित किया गया थाः-

ई.

"……मैं लंबे समय से और गहराई से इस नियम के विवेक से प्रभावित रहा हूं, अब, मेरा मानना है कि कम से कम वेस्टमिंस्टर हॉल में अदालतों में सार्वभौमिक रूप से अपनाया गया है, कि वसीयतों और वास्तव में कानूनों और सभी लिखित उपकरणों के अर्थ में, शब्दों के व्याकरणिक और सामान्य अर्थ का पालन किया जाना चाहिए, जब तक कि यह कुछ बेतुका, या बाकी उपकरण के साथ कुछ तिरस्कार या असंगति का कारण न बने, इस मामले में शब्दों के व्याकरणिक और सामान्य अर्थ को संशोधित किया जा सकता है, ताकि उस बेतुकेपन और असंगति से बचा जा सके, लेकिन इससे आगे नहीं।……"

एफ.

जी.

24. प्रिवी काउंसिल ने सैल्मन बनाम डनकोम्ब और अन्य 5 में निम्नलिखित शब्दों में सिद्धांत को बतायाः-

"हालाँकि, यह अभिनिर्धारित करना एक बहुत ही गंभीर मामला है कि जब किसी क़ानून का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, तो इसे शून्य कर दिया जाएगा।

4 (1857) 6 एचएलसी 61 5 (1886) 11 एसी 627 ए

एच.

कानून के बारे में ड्राफ्ट्समैन की लापरवाही या अज्ञानता।न्याय न्यायालय के लिए इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक हो सकता है, लेकिन उनके अधिपतियों का मानना है कि उपयोग की गई भाषा की आवश्यकता या पूर्ण अस्पष्टता के अलावा कुछ भी इसे उचित नहीं ठहरा सकता है।……"

25. न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह के ग्रंथ "सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत" 6 में अधिशेष के सिद्धांत को सख्त निर्माण के पारंपरिक नियम पर एक सीमा के रूप में संदर्भित किया गया है।इस बिंदु पर मुख्य निर्णय मैकमोनगल बनाम वेस्टमिंस्टर सिटी काउंसिल 7 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का निर्णय है।उस मामले में प्रतिवादी के परिसर में एक मशीन थी जो एक सिक्का डालने पर दो नग्न महिलाओं को स्पष्ट रूप से अनैतिक तरीके से प्रकट करती थी।प्रतिवादी पर बिना किसी

लाइसेंस के इस परिसर का उपयोग यौन प्रतिष्ठान के रूप में करने का आरोप लगाया गया था। उनका तर्क था कि अधिनियम (स्थानीय सरकार (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1982) में 'जो गैरकानूनी नहीं है' शब्दों का उपयोग किया गया था और चूंकि वह एक गैरकानूनी गतिविधि कर रहे थे, इसलिए उन्हें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी।यह इस संदर्भ में था कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने माना कि 'जो शब्द गैरकानूनी नहीं हैं' उन्हें अधिशेष माना जाना चाहिए और अक्षम मसौदा कौशल द्वारा पेश किया गया है।उस मामले में विधानमंडल का इरादा स्पष्ट था कि लाइसेंस के बिना कोई भी यौन प्रतिष्ठान स्थापित नहीं किया जा सकता है।'जो गैरकानूनी नहीं है' शब्द पूरे प्रावधान को निरर्थक बना देंगे।इस मामले में ऐसा नहीं होता है।इस मामले में जो हुआ है वह यह है कि अपराधों की चौथी श्रेणी है जिन पर अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं की जाती है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि विधानमंडल अपराधों की इस चौथी श्रेणी को 'जघन्य अपराधों' की श्रेणी में शामिल करने का इरादा रखता है।केवल इसलिए कि 'न्यूनतम' शब्द को हटाने से अधिनियम व्यवहार्य हो जाएगा, यह मानने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है कि 'न्यूनतम' शब्द अधिशेष है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

26. वसंत गणपत पदवे बनाम अनंत महादेव मामले में यह न्यायालय

सावंत 8 महाराष्ट्र किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1948 की धारा 32-एफ (1) (ए) के प्रावधानों पर काम कर रहे थे।यह पक्षों का एक स्वीकृत मामला था कि यह कृषि सुधारों के लिए एक कानून था।इस मुद्दे का प्रावधान किरायेदार के उस संपत्ति को खरीदने के अधिकारों से संबंधित है जहां मकान मालिक विधवा, नाबालिग या मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति है।इस धारा ने अनिवार्य रूप से किरायेदार को अवधि समाप्त होने के एक वर्ष के भीतर खरीद के अपने अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया।

जी.

6 14 , लेक्सिस नेक्सिस, पीपी।89-90, 983 (2016) 7 [1990] 2 ए. सी. 716

8 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1226 (2018 का निर्णय दिनांक 18.09.2018 सिविल अपील सं. 11774)

एच.

शिल्पा मित्तल बनाम दिल्ली और ए. एन. आर. की राष्ट्रीय राजधानी का राज्य। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

ए.

उस अवधि के दौरान जिसके दौरान ऐसा मकान मालिक किरायेदारी को समाप्त करने का हकदार है।इस धारा में वस्तुतः यह प्रावधान किया गया है कि मकान मालिक किरायेदार को इस तथ्य की सूचना भेजेगा कि वह उस अवधि की समाप्ति से पहले बहुमत प्राप्त कर चुका है जिसके दौरान मकान मालिक धारा 31 के तहत किरायेदारी को समाप्त करने का हकदार है।यद्यपि एक विधवा या एक विकलांग व्यक्ति को किरायेदार को अपने खरीद के अधिकार का प्रयोग करने के लिए नोटिस देने की आवश्यकता नहीं थी, एक नाबालिग के मामले में जब तक कि नाबालिग बहुमत प्राप्त करने पर ऐसा नोटिस जारी नहीं करता, तब तक किरायेदार अपने खरीद के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होगा।प्रभावी रूप से नाबालिग बहुमत प्राप्त करने पर नोटिस जारी नहीं करके किरायेदार के अधिकार को हरा देता है।इस संदर्भ में इस न्यायालय ने कहा कि इससे ऐसी विसंगति पैदा होगी कि यह कृषि सुधार की पूरी योजना को अपने सिर पर ला देगा।इसलिए, यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः-

बी.

सी.

“25. ... यह विसंगति वास्तव में कृषि सुधार की पूरी योजना को अपने सिर पर ला देती है।इस प्रकार हमें यह देखना होगा कि क्या धारा 32-एफ की भाषा को जोड़ा या घटाया जा सकता है, ताकि उपरोक्त बेतुकी और समान रूप से स्थित व्यक्तियों के बीच भेदभाव को दूर किया जा सके।”

डी.

व्याख्या के विभिन्न नियमों पर चर्चा करने के बाद न्यायालय ने कहा कि समग्र रूप से वर्गीकरण को समाप्त करने के बजाय यह 'इस तथ्य के शब्दों को हटा देगा कि उन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया है'।हम पैरा 43 का उल्लेख कर सकते हैं जो प्रासंगिक हैः-

ई.

“43. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 1956 के संशोधन का उद्देश्य, जो एक कृषि सुधार कानून है, और मिट्टी के जोतने वाले को उस भूमि को वैधानिक अधिकार देना है जो इस तरह के जोतने वाले खेती करते हैं; और, इस तथ्य को देखते हुए कि धारा 32-एफ (1) (ए) की शाब्दिक व्याख्या न्याय और तर्क के विपरीत होगी और उन व्यक्तियों के लिए बड़ी कठिनाई का कारण बनेगी जो समान रूप से परिस्थिति वाले हैं; साथ ही एक अनुपस्थित जमींदार के पास वापस जाने की बेतुकी बात जब वह व्यक्तिगत खेती का अधिकार खो देता है, 1956 के संशोधन के उद्देश्य के दांतों में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हम इस तथ्य के शब्दों को

हटा देते हैं कि उसने बहुमत प्राप्त कर लिया है।इन शब्दों के बिना, इसलिए, तीनों श्रेणियों से संबंधित मकान मालिक को उस अवधि की समाप्ति से पहले किरायेदार को एक सूचना भेजनी होगी, जिसके दौरान ऐसा मकान मालिक धारा 31 के तहत किरायेदारी को समाप्त करने का हकदार है।"

एफ.

जी.

27. श्री लूथरा ने 2015 के अधिनियम के संबंध में विधेयक पेश करते समय मंत्री के भाषण की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।हमें इसकी आवश्यकता नहीं है।

एच.

भाषण को विस्तार से दोहराते हुए लेकिन उसे पढ़ने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि मंत्री ने 'जघन्य अपराधों' के मुद्दे पर विचार करते हुए मुख्य रूप से हत्या, बलात्कार और आतंकवाद के अपराधों का संदर्भ दिया, जिसमें बच्चों पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता था।श्री लूथरा द्वारा कुछ अन्य भाषणों का उल्लेख किया गया है, लेकिन हम उनका उल्लेख नहीं कर रहे हैं क्योंकि समग्र रूप से विधानमंडल की मंशा का अंदाजा अलग-अलग सदस्यों के भाषणों से नहीं लगाया जा सकता है, जिनमें से कुछ ने विधेयक का समर्थन किया और कुछ ने विधेयक का समर्थन नहीं किया।मुख्य निर्भरता केवल उद्देश्यों और कारणों पर की जा सकती है और मंत्री द्वारा विधेयक को पेश किया जा सकता है जो मूल रूप से हत्या, बलात्कार, आतंकवाद जैसे अपराधों का संदर्भ देता है, जहां न्यूनतम सजा 7 साल से अधिक है।28. श्री सिद्धार्थ लूथरा द्वारा की गई इस दलील के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि किसी भी परिस्थिति में, यह न्यायालय किसी क़ानून से शब्दों को जोड़ या घटा भी सकता है।हालाँकि, यह तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल की मंशा स्पष्ट हो।हमें न केवल वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों को देखना है, बल्कि वर्तमान मामले में, हम जिस पहेली का सामना कर रहे हैं, वह यह है कि हम विधानमंडल के इरादे को कैसे समझते हैं।यह आवश्यक नहीं है कि विधानमंडल का इरादा वही हो जो न्यायाधीश को लगता है कि होना चाहिए।यदि विधानमंडल का इरादा स्पष्ट है तो न्यायालय क़ानून के कलात्मक या अनाड़ी शब्दों पर काबू पा सकता है।हालाँकि, जब क़ानून के शब्द स्पष्ट हैं लेकिन विधानमंडल का इरादा स्पष्ट नहीं है, तो न्यायालय क़ानून से शब्दों को जोड़ या घटा नहीं सकता है ताकि इसे एक अर्थ दिया जा सके जो अदालत को लगता है कि चीजों की योजना में फिट होगा।

बी.

सी.

डी.

ई.

29. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि यदि विधानमंडल का इरादा अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों से पूरी तरह से स्पष्ट है तो न्यायालय उस व्यक्ति द्वारा की गई त्रुटियों को ठीक कर सकता है जिसने विधान का मसौदा तैयार किया था और विधान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए शब्दों को लिख सकता है या हटा सकता है/हटा सकता है/जोड़ सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि विधान को एक अर्थ दिया गया है जो विधानमंडल द्वारा अभिप्रेत था।मुद्दा यह है कि क्या वर्तमान मामले में हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि विधानमंडल का इरादा क्या था।

एफ.

जी.

30. हमें किसी अधिनियम की व्याख्या करते समय यह भी देखना चाहिए कि अधिनियम का उद्देश्य क्या है। 2015 के अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कानून के साथ टकराव में आने वाले बच्चों के साथ अलग से व्यवहार किया जाए न कि वयस्कों की तरह।दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 को बलात्कार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद, जिसमें एक किशोर शामिल था, कुछ ए से फोन आया था

एच.

497

शिल्पा मित्तल बनाम दिल्ली और ए. एन. आर. की राष्ट्रीय राजधानी का राज्य। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

इस तरह के जघन्य अपराधों में लिप्त किशोरों के साथ बच्चों की तरह व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।मंत्री ने अपने परिचय में भी इस घटना का उल्लेख किया है।इन परिस्थितियों में, यह कहना कि विधानमंडल का इरादा 7 साल से अधिक की सजा वाले सभी अपराधों को 'जघन्य अपराधों' की श्रेणी में शामिल करना था, हमारी राय में उचित नहीं होगा।जब धारा की भाषा स्पष्ट है और यह जघन्य अपराधों से निपटने के दौरान न्यूनतम 7 साल के कारावास की सजा निर्धारित करती है तो हम 'न्यूनतम' शब्द को दूर नहीं कर सकते।

बी.

31. इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा कि श्री लूथरा ने प्रस्तुत किया है कि कानून निर्माताओं द्वारा की गई एक बड़ी गलती प्रतीत होती है।यह कानून अपराधों की चौथी श्रेणी को ध्यान में नहीं रखता है।इस तरह के अपराध करने वाले किशोर से कैसे और किस तरीके से निपटा जाना चाहिए, यह कुछ ऐसा था जिसे विधानमंडल को अधिनियम में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए था। एक दुर्भाग्यपूर्ण अंतर है।हम यह कहकर इस कमी को पूरा नहीं कर सकते कि इन अपराधों को जघन्य अपराध माना जाना चाहिए।जहाँ एक ओर इस श्रेणी में कुछ अपराध हैं जिन्हें सामान्य भाषा में जघन्य कहा जा सकता है, वहीं कई अन्य अपराध हैं जिन्हें जघन्य अपराध नहीं कहा जा सकता है।कानून बनाना इस न्यायालय का काम नहीं है।हम कमियों को भर सकते हैं लेकिन हम एक कानून नहीं बना सकते हैं, खासकर जब विधायिका ने खुद एक कानून बनाया हो।हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की योजना यह है कि बच्चों की रक्षा की जानी चाहिए।बच्चों के साथ वयस्कों की तरह व्यवहार करना नियम का एक अपवाद है।यह वैधानिक व्याख्या का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत भी है कि आम तौर पर एक अपवाद को एक सीमित अर्थ दिया जाना चाहिए।

सी.

डी.

ई.

32. हम यह भी जोड़ सकते हैं कि बॉम्बे 9, पटना 10 और पंजाब और हरियाणा 11 के उच्च न्यायालयों ने यह विचार रखा है कि 'जघन्य अपराधों' की श्रेणी में चौथी श्रेणी में आने वाले अपराध शामिल नहीं हो सकते हैं।इसके विपरीत कोई दृष्टिकोण हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है। हम एक अलग दृष्टिकोण लेने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

एफ.

जी.

9 सौरभ जलिंदर नांगरे और अन्य बनाममहाराष्ट्र राज्य, 2019 (1) अपराध 253 (बम)।

10 2018 का आपराधिक (एसजे) No.1716 शीर्षक राजीव कुमार बनाम बिहार राज्य।निर्णय दिनांकित 18.09.2018

11 2018 के सी. आर. आर. 1615 का शीर्षक बिजेंद्र बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य निर्णय दिनांक 21 मई, 2018 है।

एच.

33. श्री लूथरा द्वारा यह आग्रह किया गया था कि 'जघन्य अपराधों' को परिभाषित करते समय 'शामिल' शब्द का उपयोग किया गया है जिसका अर्थ होगा कि परिभाषा एक समावेशी परिभाषा है और परिभाषा में उल्लिखित चीजें शामिल नहीं हैं।हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं क्योंकि 'छोटे अपराधों' और 'गंभीर अपराधों' की परिभाषाओं में भी 'शामिल' शब्द का उपयोग किया जाता है। वास्तव में 'सम्मिलित' शब्द एक अधिशेष है।तीन परिभाषा खंडों में 'शामिल' शब्द का कोई अर्थ नहीं है।इसमें शामिल करने के लिए और कुछ नहीं है।परिभाषा अपने आप में पूर्ण है।34. ऊपर उल्लिखित धारा 14,15 और 19 की योजना से यह स्पष्ट है कि विधानमंडल ने महसूस किया कि किशोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने से पहले एक बहुत विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।अगर कोई बच्चा भी कोई जघन्य अपराध करता है, तो भी उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यह भी स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि 'जघन्य अपराध' शब्दों के अर्थ को परिभाषा से 'न्यूनतम' शब्द को हटाकर विस्तारित नहीं किया जा सकता है।

बी.

सी.

35. हालाँकि हमारा विचार है कि 'न्यूनतम' शब्द को अधिशेष नहीं माना जा सकता है, फिर भी हम यह तय करने के लिए बाध्य हैं कि जिन बच्चों ने चौथी श्रेणी में आने वाले अपराध किए हैं, उनसे कैसे निपटा जाए।हम ऊपर व्यक्त किए गए विचारों से अवगत हैं कि यह न्यायालय कानून नहीं बना सकता है।हालांकि, अगर हम इस मुद्दे से नहीं निपटते हैं तो किशोर न्याय बोर्डों को उन बच्चों से निपटने के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं मिलेगा जिन्होंने ऐसे अपराध किए हैं जो निश्चित रूप से गंभीर हैं, या गंभीर अपराधों से अधिक हो सकते हैं, भले ही वे जघन्य अपराध न हों।चूँकि दो विचार संभव हैं, हम एक ऐसा दृष्टिकोण रखना पसंद करेंगे जो बच्चों के पक्ष में हो और हमारी राय में, विधानमंडल को इस मामले में निर्णय लेना चाहिए, लेकिन जब तक वह ऐसा नहीं करता, तब तक संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हम निर्देश देते हैं कि 2015 का अधिनियम लागू होने की तारीख से, उन सभी बच्चों के साथ उसी तरह से व्यवहार किया जाएगा जिन्होंने चौथी श्रेणी में आने वाले अपराध किए हैं, जिन्होंने 'गंभीर अपराध' किए हैं।36. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए हम निर्णय के पहले भाग में दिए गए प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देकर अपील का निपटारा करते हैं और मानते हैं कि एक अपराध जो न्यूनतम 7 साल की सजा का प्रावधान नहीं करता है, उसे जघन्य अपराध नहीं माना जा सकता है।हालाँकि, हमने ऊपर जो माना है, उसे ध्यान में रखते हुए, अधिनियम चौथी श्रेणी के अपराधों से संबंधित नहीं है।, अपराध जहाँ अधिकतम सजा 7 वर्ष से अधिक है, लेकिन कोई न्यूनतम सजा या 7 वर्ष से कम की न्यूनतम सजा का प्रावधान नहीं है, उसे 'गंभीर ए' माना जाएगा।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

499

शिल्पा मित्तल बनाम दिल्ली और ए. एन. आर. की राष्ट्रीय राजधानी का राज्य। [दीपाक गुप्ता, जे.]

अधिनियम के अर्थ के भीतर अपराधों से तब तक निपटा जाता है जब तक कि संसद इस मामले पर निर्णय नहीं लेती।

37. पारित करते समय हम ध्यान दे सकते हैं कि विवादित फैसले में कानून के साथ संघर्ष में बच्चे के नाम का खुलासा किया गया है।यह 2015 के अधिनियम की धारा 74 के प्रावधानों और अदालतों के विभिन्न निर्णयों के अनुसार नहीं है।हम उच्च न्यायालय को फैसले को सही करने और कानून के साथ संघर्ष में बच्चे का नाम हटाने का निर्देश देते हैं। 38.हम आगे निर्देश देते हैं कि इस निर्णय की एक प्रति सचिव विधि, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार और सचिव, गृह मंत्रालय और महापंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय को भेजी जाए, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि इस निर्णय में उठाए गए मुद्दे को संसद द्वारा जल्द से जल्द या कार्यपालिका द्वारा एक अध्यादेश जारी करके संबोधित किया जाए।हमारे निर्देश तब तक लागू रहेंगे जब तक ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती।

बी.

सी.

39. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

डी.

कल्पना के. त्रिपाठी

अपील का निपटारा किया गया।

ई.

एफ.

जी.

एच.